अभियंता प्रमुख का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन,
बेली पथ पटना–800015

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में लगे विभिन्न क्षमता वाले Cassette AC का वार्षिक सम्पोषण रख–रखाव एवं परिचालन कार्य हेतु निर्मात्ता/आपूर्तिकर्त्ता/अधिकृत एजेंसी या पर्याप्त अनुभव रखने वाले संवेदकों से दर उद्धरण मुहरबंद कोटेशन दिनांक–30 मार्च 2017 अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को अपराह्न 3:30 बजे कोटेशन दाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

उक्त कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी, रूपरेखा एवं अन्य सूचनाएँ किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/बेबसाईट www.rcd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

कोटेशन की सामान्य शर्त्तें :–

1. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग अलग लिफाफा में सील बन्द की जाएगी एवं लिफाफा के उपर तकनीकी बीड/वित्तीय बीड स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात् एक बड़े लिफाफा में दोनों बीड (तकनीकी एवं वित्तीय) को सील बन्द किया जाएगा। सभी लिफाफा में कार्य का नाम एवं कोटेशनदाता का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। तकनीकी बीड के साथ अग्रधन के रूप में रूपया 10000.00 का बैक ड्राफ्ट, जो अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के नाम से निर्गत एवं पटना स्थित शाखा में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
2. कार्यालय में लगे AC का निरीक्षण कोटेशन समर्पित करने के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
3. कोटेशन लिफाफा में सील बन्द की जाएगी। लिफाफा में कोटेशनदाता का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। कोटेशन के साथ अग्रधन के रूप में रूपया 10,000/– का बैक ड्राफ्ट, जो अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के नाम से निर्गत एवं पटना स्थित शाखा में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा कोटेशन आमान्य कर दिया जायेगा।
4. कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा के समय कार्य की कुल राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आठवॉ निर्गम या PWD Code में उल्लेखित अन्य प्रतिभूति राशि जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, जमा करना आवश्यक होगा।
5. कोटेशनदाता द्वारा निविदित (Quoted) दर सभी देय करों सहित होगा।
6. कोटेशन के साथ पैन संख्या, बिक्रीकर (वाणिज्य कर का प्रमाण–पत्र) एवं लेवर लाईसेंस प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. कोटेशनदाता को नन जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया यह शपथ पत्र देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे काली सूची में दर्ज नहीं हैं तथा दी गई सभी सूचनाएँ सही है।
8. अनुमान्य गुणवत्ता से कम गुणवत्ता रखने अथवा ससमय आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/फर्म को काली सूची में डालने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

9. सामग्रियों/सेवाओं की आपूर्त्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

10. क्रय समिति को बिना कोई कारण बताए किसी भी कोटेशन को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

11. कोटेशन से सभी संबंधित विस्तृत सूचना, शर्त्तें एवं कोटेशन हेतु विहित प्रपत्र अवर सचिव (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली पथ, पटना–800015 के कार्यालय में (कार्य अवधि में) लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकती है अथवा विभागीय बेब साईट www.rcd.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है से download कर व्यवहार की जा सकती है।

12. पूरी एकरारनामा अवधि में सभी defective Parts को आवश्यकतानुसार बदलते हुए अधिकतम 48 घंटे के अन्दर सभी AC को चालू हालत में रखने की जिम्मेवारी संबंधित ऐजेंसी पर होगी।

13. उक्त के अनुसार सील बन्द लिफाफा में कोटेशन दिनांक–30.03.2017 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन यानि 30.03.2017 को 3:30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी बीड खोली जाएगी। डाक/मेल अथवा अन्य माध्यम से कोटेशन प्राप्त नहीं किया जायेगा/अमान्य कर दिया जाएगा।

14. किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया को अमान्य करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

15. निविदादाता को बिहार सरकार अन्तर्गत किसी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं होने का स्वघोषणा (फर्म के पैड पर) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का वैधानिक मामले का निपटारा पटना स्थित न्यायालय में ही किया जा सकता है।

23/3/16

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2742(S) पटना, दिनांक 23/3/17

प्रतिलिपि– पाँच प्रतियों एवं सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित। कृपया बिहार, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय तथा अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड करना चाहेंगें।

23/3/16

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2742(ε) पटना, दिनांक 23/03/17

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री बी०एन० प्रसाद, संयुक्त उद्योग निदेशक (तकनीकी), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, सदस्य, क्रय समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

23/3/16

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2742(S) पटना, दिनांक 23/3/17
प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता (या०) दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (या०) उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/निदेशक, TRI, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

23/3/17
(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2742(S) पटना, दिनांक 23/3/17
प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

23/3/17
(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/स्था०–सामग्री–17–11/2010 2742(S) पटना, दिनांक 23/3/17
प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (अनु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री रविकान्त, सहायक अभियंता (अनु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सीडी के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

23/3/17
(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

23.03.17